न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 122 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. मंगलाराम पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी हीरकन का थान मीठडा खुर्द तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.रायचन्द पुत्र वीरमाराम
2.करना पुत्र वीरमा के का.मु.:–
2/1लाली पत्नी करना
3.लिछमणा पुत्र पाबू
4.चनणा पुत्र पाबू
5.रूपों बेवा पाबू
6.नारायण पुत्र करना
7.धुड़ा पुत्र धरमा जाति जाट निवासी हिरकन का थान, मीठड़ा खुर्द तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर
8.तहसीलदार धौरीमन्ना

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2015 बअनवान मंगला बनाम रायचन्द वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रामजीवन विश्नोई रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 06 की ओर से ।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 09.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 22.07.1999 को अपने संयुक्त खेत खसरा संख्या 38 रकबा 102.07 बीघा व खसरा संख्या 10 रकबा 43.02 बीघा कुल रकबा 145.09 बीघा में अपना हिस्से की घोषणा व बंटवाड़ा करवाने हेतु इस आशय का दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। हस्तगत प्रकरण को न्यायालय हाजा द्वारा दो बार प्रकरण को रिमाण्ड किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है या कोई प्रार्थना–पत्र नहीं है कि सभी पक्षकारों का अपना अपना हिस्सा अलग किया जावें। ऐसी कोई प्रारम्भिक डिक्री नहीं है कि सभी खातेदारों का हिस्सा अलग किया जावें। पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 01 का कितना हिस्सा है तथा क्यों है, न्याय का सिद्धांत है कि बिना मांगे, बिना काउनटर क्लेम लगाये निर्णय नहीं दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट न्यायालय के निर्देशों की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

खुल्ली अवहेलना करते हुऐ वादी के कब्जा काश्त की 18.03 बीघा की जगह 16 बीघा, इस बार कब्जा काश्त को नजरअंदाज कर 16 की जगह 12 बीघा का रकबा कर दिया यानि वादी की अपील सारहीन हो गई तथा वादी के पक्ष में फैसले को वादी के विरूद्ध इस्तेमाल किया गया। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.05.2016 की प्रथम लाईन "आज दिनांक 15.05.2016 को श्रीमान तहसीलदार धोरीमन्ना के आदेश से मौके पर आया" यानि तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं आये अर्थात धारा 18 से 21 के मेन्डेटरी प्रोविजन है कि तहसीलदार स्वयं ही विभाजन प्रस्ताव बना सकते है। की पालना नहीं करने से विभाजन प्रस्ताव प्रारम्भ से ही अवैधानिक व शून्य है। विभाजन प्रस्ताव के लिए वादी को नोटिस नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गया। विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया इसके बावजूद भी दिनांक 27.05.2016 को अंतिम डिक्री पारित कर दी गई जो कि न्यायोचित नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को एकतरफा विभाजन प्रस्ताव पर उजर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

एतराज का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। एक–डेढ माह पूर्व बरसात होने पर अपीलांट बाहामी बंटवाड़े में प्राप्त भूमि पर काश्त करने लगा तो उतरदातागण ने आपको इस वर्ष यहां पर काश्त नहीं करने देगें क्योंकि यह भूमि कोर्ट निर्णय से हमें प्राप्त हुई तथा अपीलांट को घर खाली करने की धममियां दी जाने लगी। अपीलांट ने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 10.07.2017 को अपीलाधीन निर्णय के नकले मांगी जो दिनांक 11.07.2017 को प्राप्त हुई जिस पर अपीलांट को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपली पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान किये गये निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना की गई। राजस्थान टिन्नेसी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व बंटवारा प्रस्ताव पर केवल प्रतिहस्ताक्षकर किये गये है। जबकि तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट/वादी को अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर उजर एतराज पेश करने का अवसर नहीं दिया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2015 बअनवान मंगला बनाम रायचन्द वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2016 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाई मिटस एण्ड बाउंडस पुनः निर्णय पारित करे।

9/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदीन बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner